मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, पटना–800002
E-Mail-cewrdanisabadpatna@gmail.com मो0 नं0–7463889513

पत्रांक–2/मु0अ0–03–07/2024 पटना/दिनांक–

प्रेषक,

ई0 एजाज कलीम,
मुख्य अभियन्ता।

सेवा में,

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पाइपलाइन्स प्रभाग– बरौनी–कानपुर पाइपलाइन,
पो0– ढेलवाँ, भाया– लोहिया नगर,
जिला–पटना–800020 (बिहार)

विषय :– Permission for laying 89 mm OD MS pipe (Schedule 80, APL5L Grade-B/ASTM 106) Containing a 40mm OD HDPE Duct pipe and OFC Cable Across Thora River in District Buxar, Bihar. हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपाक पत्रांक– IOCL/BKPL/Patna/2026-27/Thora River-1 दिनांक–16.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में परिक्षेत्राधीन बक्सर जिलान्तर्गत बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर के अधीन laying 89 mm OD MS pipe (Schedule 80, APL5L Grade-B/ASTM 106) Containing a 40mm OD HDPE Duct pipe and OFC Cable Across Thora River in District Buxar, Bihar कार्य हेतु **द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ दी जाती है** :–

1. पाइप लाइन बिछाने के दौरान सभी अपेक्षित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानको का पूर्णतः पालन किया जाय।
2. पाइप लाइन HDD (Horizontal Directional Drilling) Method द्वारा सभी सुरक्षात्मक उपाय के साथ बिछाये जायेंगे।
3. River Crossing हेतु पाईप लाईन नदी के केन्द्र से दोनों ओर न्यूनतम Lacey's Waterway का 1.50 गुणा (212m) दूरी तक तथा पाईप लाईन का Top Level, नदी के Maximum Scour depth (4.5m) के नीचे या Deepest Bed level से न्यूनतम 3.00 मी० नीचे (दोनों में जो नीचे हो) से गुजरना बाध्यकारी होगा।
4. पाइप लाईन के संरेखन को संरचनाओं से न्यूनतम 50 मी० की दूरी पर रखना अनिवार्य होगा।
5. कार्य कराते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि नदी के प्रवाह बाधित नहीं हो।
6. नदी/तटबंधों के क्रॉसिंग बिन्दुओं के समीप Danger Post लगा दिये जाये ताकि कार्य स्थल पर कार्य करते समय इसे ध्यान में रखा जा सकें।
7. नदी के किनारों के Across पाईप लाईन बिछाते समय सुरक्षात्मक उपाय के साथ बिछाया जाय जिससे किनारों को किसी प्रकार की क्षति न हो।
8. यह सुनिश्चित करना होगा कि पाईप लाईन के कारण किनारों के रख–रखाव एवं इसके उपर किसी प्रकार का निर्माण करने में पाईप लाईन के कारण व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

9. नदी का Morphology अक्षुण्य रखा जाय। बाढ़ अवधि में पाईप लाईन के Morphology की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग की सूचना के उपरान्त संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की पूरी जिम्मेवारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
10. पाईप लाईन के मार्ग में पक्की सडक एवं सरचना को क्षति नहीं पहुंचाई जाए।
11. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय।
12. पाईप लाईन में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की होगी।
13. पाईप लाईन से पेट्रोलियम उत्पाद/गैस आदि का रिसाव नही हो इसकी पूर्ण सुरक्षा का प्रबंधन एवं विशेष सुरक्षा की व्यवस्था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा की जाएगी।
14. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्य प्रभावित नहीं होगा।
15. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाय।
16. कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की सूचना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।
17. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की होगी।
18. अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ IOCL के तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित रूपांकण एवं आलेख्य में कंडिका 3 के आलोक में रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना द्वारा सुधार किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। इसके अनुसार ही कार्य कराया जाय।
19. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
20. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

अनु0ः–यथावत्।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः–　　　　पटना/दिनांकः–

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-
(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः–　　　　पटना/दिनांकः–

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः–

पटना / दिनांकः–

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर / कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये शर्तों एवं संलग्न संशोधित रूपांकण (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

अनु0:–यथावत्।

ह0/-

(एजाज कलीम)

मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः– 3267

पटना / दिनांकः– 10.08.2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(एजाज कलीम)

मुख्य अभियन्ता